राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामफूल बनाम खेमराज 569/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/10/2025 को पेश हो।	
16/10/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाऐ अपनाते हुये पत्रावली को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट गढ़ में नियत कर नायब तहसीलदार से मौके पर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की जानकारी लेकर नायब तहसीलदार की रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन मय पत्रावली अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15/06/2018 पारित करते हुये वादी का वाद विधि के मंशा के अनुरूप नहीं होने से ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी मौखिक बहस की। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार की रिपोर्ट का मय पत्रावली एवं विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड का समुचित अध्ययन कर विस्तृत विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से वाद ख़ारिज किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15/06/2018 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	